बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। संकल्प ।।

विषयः भारत सरकार के नमामि गंगे योजनांतर्गत हाजीपुर शहर में Sewerage Network एवं STP कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरिक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित रू० 31244.0486 लाख (तीन अरब बारह करोड़ चौवालिस लाख चार हजार आठ सौ साठ रू० मात्र) में से केन्द्रांश के रूप में रू0 21363.202 लाख (दो अरब तेरह करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार दो सौ रू मात्र) तथा राज्यांश के रूप में सेंटेज सहित कुल रू0 9880.8466 लाख (अन्ठानवे करोड़ अस्सी लाख चौरासी हजार छः सौ साठ रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सभी घरों घरों/प्रतिष्ठानों को सिवरेज प्रणाली से जोड़ा जाने की योजना है। पूरा हाजीपुर शहर लगभग 19.6 sq.km. क्षेत्र में बसा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2/रा.न.–02/68–757, दिनांक–20.09.2010 द्वारा ₹113.62 करोड़ परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यन्वयन कार्य बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना (बुडको) को सौंपा गया।

बुडको द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक–13.12.11 को संवेदक Tri-Tech (Beijing) Company Limited को निविदित राशि ₹94.88 करोड़ पर कार्यआवंटित किया गया। योजना का कार्य समाप्ति की अवधि 24 माह की थी। इस योजना अंतर्गत 198 कि0मी0 Pipe laying, 2 nos IPS का निर्माण एवं 1 no 22 MLD STP का निर्माण किया जाना था। एकरारनामा अनुसार यह कार्य 12.12.2013 तक पूर्ण किया जाना था। अनेकशः स्मार एवं सततं प्रयास के बाबजूद भी कार्य की प्रगति काफी धीमी रहने के कारण बुडको द्वारा एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए पत्रांक–BUIDCo/SIU-3/Yo/134/17-130, दिनांक 18.08.2017 से एजेंसी के साथ सम्पन्न एकरारनामा को विखण्डित कर दिया गया। एकरारनामा विखंडन के समय तक संवेदक द्वारा केवल 51 km pipe laying एवं STP पर लगभग 60% civil कार्य किया जा सका था। इस योजना पर उक्त कार्य के लिए रू0 33,91,83,971.00 का व्यय हुआ है।

- शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु BCD SOR 2016 के आधार पर पुनः पुनरक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया। इस सीवरेज एवं STP योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति NMCG,NGRBA GoI के प्रत्रांक–J-16011/1/2/009-MNCG Hajipur Sewerage and STP scheme दिनांक–05.03.2018 से प्राप्त है। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति में केन्द्रांश एवं राज्यांश की वित्तीय हिस्सेदारी अनुपात 70:30 संसूचित है, जिनका ब्यौरा नीचे अंकित है–
- राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित हैः–

(राशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश (70%)	राज्यांश (30%)	सेन्टेज 2.321%	राज्यांश (30%) सहित सेन्टेज राशि	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2018-2019	7999.6455	3428.4195	265.2454	3693.6649	11693.3104
2	2019-2020	7999.6455	3428.4195	265.2454	3693.6649	11693.3104
4	2020-2021 (15 Yrs. O&M)	5363.911	2298.819	194.6978	2493.5168	7857.4278
कुल राशि		**21363.202**	**9155.658**	**725.1886**	**9880.8466**	**31244.0486**

Operation & Maintenance :- इस परियोजना का O&M कार्य संवेदक द्वारा 15 वर्षों तक किया जाना है।

- **Swerage Network & Sewerage Treatment Plant at Hajipur -** भारत सरकार द्वारा हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में **138.9 KM Sewerage Network, 4 nos Intermediate Pumping Station** एवं **1 Nos. 22 MLD STP** निर्माण की योजना पर कुल 30518.86 लाख रूपये के व्यय पर स्वीकृति दी गयी है। इस स्वीकृत राशि का 70% राशि भारत सरकार तथा 30% राशि बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इसके अतिरिक्त रूपये 725.1886 लाख का व्यय सेंटेज के रूप में किया जाना है, जिसका वहन भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जायेगा।

वर्णित परियोजना का **Major Item wise quantity** निम्नवत् है:—

Sl. No.	Major Head	Quantity
1	Sewerage System complete with sewers, cutting & reinstallent of roads, house connections (17263 nos.)	138.9km
2	Swerage Pumping Station	4 Nos.
3	22 MLD STP	1 No
4	O&M of the Project	15 Years

2. **योजना का उद्देश्य** :—

हाजीपुर बिहार राज्य की धरोहर वैशाली जिला का मुख्यालय है। राजधानी पटना के निकट होने के कारण यह शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि0मी0 की लम्बाई में बक्सर से मनिहारी (बिहार) तक गुजरती है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित किसी शहर के **Untreated Sewage** को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाजीपुर सिवरेज स्कीम में 138.9 KM Sewerage Network, 4 nos Intermediate Pumping Station एवं 1 Nos. 22 MLD STP का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2030 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस नेटवर्क के माध्यम से लगभग 17263 घरों से प्रवाहित होने वाले प्रदूषित जल को **Sewerage Network** के माध्यम से संबंधित सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट **(22 MLD)** तक पहुँचाया जाएगा। आवश्यकतानुसार बीच में 4 nos Intermediate Pumping Station का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि **Sewage** को **STP** के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाए। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार **Sewage** को शोधित कर शोधित जल कृषि कार्य में उपयोग किया जाएगा एवं गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।

3. **योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा** :—

वर्तमान में हाजीपुर शहर में पूर्व से कोई Sewage Network नहीं है। अतः सभी घरो के साथ अनेक नये आवासी तथा प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewage को Sewerage Network से जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस योजना को दो (02) वर्षों में पूरा किया जाना है। Sewerage Network के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख—रखाव किया जाना प्रावधानित है।

4. **योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत**:—

हाजीपुर शहर में आवासीय तथा प्रतिष्ठानों से प्राप्त होने वाली गंदे पानी की ट्रीटमेंट करने हेतु 138.9 कि. मी. Sewerage Network बिछाने की योजना है। यह योजना NMCG- Namami Gange Programme के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 70:30 अनुपात में वित्तीय हिस्सेदारी को वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या— एम—4—26/2013/653/वि० पटना, दिनांक— 25.01.2016 के अनुरूप सेंटेज की राशि कुल राशि 725.1886 लाख रूपये (सात करोड़ पचीस लाख अठारह हजार आठ सौ साठ रूपये मात्र) का वहन बिहार सरकार द्वारा किया जाना है। **NMCG** भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू0 30518.86 लाख रूपये (तीन सौ पाँच करोड़ अठारह लाख छियासी हजार रू० मात्र) पर दी गयी है। सेन्टेज की कुल राशि 725.1886 लाख रूपये सहित योजना पर कुल राशि

31244.0486 लाख (तीन अरब बारह करोड़ चौवालिस लाख चार हजार आठ सौ साठ रू० मात्र) की व्यय संभावित है।

5. प्रस्ताव का उद्देश्य:– योजना के क्रियान्वयन होने पर नगरवासियों को स्वस्थ वातावरण एवं उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त होंगे। गंगा नदी मे प्रदूषित जल का प्रवाह रोका जा सकेगा। शोधित जल का उपयोग कृषि कार्य में किया जा सकेगा।

6. यदि चालू योजना है तो विगत तीन वर्षो की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि और यदि की प्राप्ति नहीं हुई तो उनका कारण तथा वर्तमान वर्ष में समाधान के उपाय :–

हाजीपुर सिवरेज योजना पूर्व में दिसम्बर 2011 में प्रारंभ हुयी थी। जिसमें कार्य समाप्त करने हेतु संवेदक को 2 वर्ष का समय दिसम्बर 2013 तक दिया गया था। संवेदक द्वारा कार्य अत्यंत धीमी गति से किया गया। कार्य की महत्ता को देखते हुए संवेदक को समय–समय पर अवधि विस्तार का अवसर प्रदान करते हुए कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। किन्तु अन्ततः संवेदक द्वारा कार्य में बरती जा रही उदासिनता को देखते हुए संवेदक का एकरारनामा अगस्त 2017 में विखंडित कर दिया गया। एकरारनामा विखंडन के समय तक संवेदक द्वारा केवल 51 km pipe laying एवं STP पर लगभग 60% civil कार्य किया गया था। अतः शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु BCD SOR 2016 के आधार पर पुनः पुनरक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया। जिसपर NMCG द्वारा 70:30 के वित्तीय हिस्सेदारी पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना अबतक 339183971 रूपये का व्यय किया जा चुका है।

7. योजना की प्रकृति :–

यह निर्माण कार्य से संबंधित है। हाजीपुर नगर परिषद के क्षेत्राधीन हाजीपुर आवासित नागरिकों को सिवरेज प्रणाली के द्वारा मल–जल एकत्रित कर Sewerage Treatment Plant के माध्यम से निर्धारित मापदंड तक शुद्ध कर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाना है। शहर के अन्दर नई प्रणाली बनाये जाने से गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण में गुणात्मक सुधार होने की संभावना है।

8. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–15.05.2018 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0–14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9. अतः भारत सरकार के नमामि गंगे योजनांतर्गत हाजीपुर शहर में Sewerage Network एवं STP कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरिक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित रू० 31244.0486 लाख (तीन अरब बारह करोड़ चौवालिस लाख चार हजार आठ सौ साठ रू० मात्र) में से केन्द्रांश के रूप में रू0 21363.202 लाख (दो अरब तेरह करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार दो सौ रू मात्र) तथा राज्यांश के रूप में सेंटेज सहित कुल रू0 9880.8466 लाख (अन्ठानवे करोड़ अस्सी लाख चौरासी हजार छः सौ साठ रू० मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/नगर कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, हाजीपुर/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :–03/नमामि गंगे-06-04/2018 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/नमामि गंगे-06-04/2018 1224- न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक-22/5/18

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/नगर कार्यपालक पदा0, नगर परिषद, हाजीपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/निदेशक, NMCG, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/5/2018
सरकार के प्रधान सचिव।